न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 164/2022 निर्णय दिनांक :

रामसिंह बनाम अशोक वगै0

1. रामसिंह पुत्र मेहरचन्द, उम्र 62 वर्ष जाति जाट, निवासी भड़ौंदा खुर्द, तहसील व जिला झुन्झुनूं
2. रमेश पुत्र मेहरचन्द, उम्र 53 वर्ष जाति जाट, निवासी भड़ौंदा खुर्द, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

आवेदकगण

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र देबूराम
2. जगदीश प्रसाद पुत्र देबूराम
3. बलबीर पुत्र देबूराम
4. मनोज कुमार पुत्र देबूराम
5. रुपेन्द्र पुत्र देबूराम
6. सुरेश कुमार पुत्र देबूराम
7. अनिल कुमार पुत्र सागरमल शर्मा,
   जाति समस्त ब्राहम्ण, निवासीगण भड़ौंदा खुर्द, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज)
8. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भैहुंदा कला जरिये शाखा प्रबंधक ग्राम भड़ौंदा कला
9. भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार झुन्झुनूं (राज.)

अनावेदकगण

आवेदन पत्र अ. धारा 251 'क', राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, संशोधित अधिनियम 2012

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आशय का पेश किया गया कि आवेदकगण संख्या 1 व 2 ग्राम भड़ौंदा खुर्द पटवार हल्का भड़ौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुन्झुनू में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1022 रकबा 0.57 हेक्टर खसरा नं 1023 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नं 1024 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार है। आवेदकगण नं. 1 व 2 करीब काफी वर्षो से उपरोक्त कृषि भूमि हाल खसरा नं 1022, 1023 व 1024 में रबी व खरीफ की दोनो फसल काश्त करते है। आवेदकगण संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1022 1023 व 1024 के की पश्चिमी सीमा पर जमीन हाल खसरा नं. 1001 अनावेदक नं. 1 लगायत 6 की सहखातेदारी की कृषि भूमि स्थित हैं। हाल खसरा नं 1001 के पश्चिम में गैर मुमकिन सड़क खसरा नं. 947 स्थित है। गैर मुमकिन सड़क हाल खसरा नं. 947 से हाल खसरा नं 1001 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे कदीमी प्रचलित रास्ता आवेदकगण के खेत खसरा नं 1022 1023 व 1024 में आने–जाने का रहा है जिससे आवेदकगण पूर्वजों के समय से आज दिनांक तक अनवरत रूप से बिना बाधा व परेशानी के आवागमन कर रहे है। आवेदकगण नं 1 व 2 की कृषि भूमि जमीन हाल खसरा नं. 1022. 1023 व 1024 में आने जाने के कदीमी प्रचलित रास्ता गैर मुमकिन सड़क हाल खसरा नं 947 से अनावेदकगण के खेत खसरा नं. 1001 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे करीब 25 से 30 फीट की दूरी है। आवेदकगण कदीमी रूप से उक्त प्रचलित रास्ते से ही स्वयं के खेत में आवागमन करते रहे हैं। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बी कदीमी प्रचलित रास्ते के अलावा आवेदकगण के खेत खसरा नं. 1022 1023 व 1024 में आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं रहा है। वर्तमान में आवेदगण संख्या 1 व 2 को खेत में जाने हेतु उक्त कदीमी प्रचलित रास्ते नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी से पशुधन व वाहन इत्यादी के आवागमन के लिये काम में लिये जाने पर मौके पर उक्त खसरा नं. 1001 के उत्तरी सीरे की भूमि पर अनावेदक नं. 7 काश्त करता है। अनावेदक नं. 1 लगायत 6 को आवेदकगण के

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

खेत खसरा नं. 1022 1023 व 1024 में आने–जाने के कदीमी प्रचलित रास्ते को आवेदकगण द्वारा स्वयं के खेतो में स्थित आवासीय मकानात का पट्टा जारी करवाने के लिए कटानी रास्ते की आवश्यकता होने पर उक्त कदीमी प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन कटानी रास्ता दर्ज करवाने के लिए भूमि के बदले भूमि देकर अथवा नियमानुसार शुल्क अदा कर कटानी रास्ता दर्ज करवाने के लिए कहा गया तो अनावेदकगण 1 लगायत 6 ने अनावेदक नं. 7 द्वारा काश्त करने के कारण गैर मुमकिन कटानी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए असमर्थता जाहिर की गई। इस कारण आवेदकगण को आवेदकगण के खेतो में उक्त कदीमी प्रचलित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने व गैर मुमकिन कटानी रास्ते की आवासीय पट्टे जारी करवाने के लिए आत्यंतिक आवश्कता होने के कारण मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनावेदकगण की खातेदारी भूमि हाल खतरा नं. 1001 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे गैर मुमकिन सड़क खसरा नं. 947 से स्वयं के खेत खसरा नं 1022 की पश्चिमी सीमा तक नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी 12 फीट चौड़ाई में राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ता कायम करवाने के कानूनन अधिकारी है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को जरिये नोटिस जबाबदेही हेतु तलब किया गया। अनावेदकगण की ओर से एडवोकेट बाबूलाल मील द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 30.09.2024 की आदेशिका में इस पत्रावली के साथ एक ओर पत्रावली प्रकरण संख्या 137/2024 जो इन्हीं पक्षकारान से संबंधित है, कंसोलिडेट की गई। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षकण के दौरान पक्षकारान की उपस्थिति समझाईस की गई। आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया तथा अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल मील तथा कंसोलिडेट पत्रावली के आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रणजीत सिंह उपस्थित आये। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील पक्षकारान ने समझाईस के अनुसार रास्ता कायम करने में अपनी सहमती जाहिर की। प्रार्थना पत्र के संलग्न समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काश्तकार को अपनी जोत तक पंहुचने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा काश्तकारों/आवेदकगणों को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र आवेदक अंतर्गत धारा 251 ए अधिवक्ता उभय पक्षकारान की सहमति से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

–: आदेश :–

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम भड़ौंदा खुर्द तहसील झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. 1001 में बने हुए मकान के सहारे सहारे खसरा नं. 1021 तक 4 मीटर चौड़ा रास्ता तथा खसरा नं. 1021 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे खसरा नं. 1022 तक 5 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करने का आदेश दिया जाता है। खसरा नं. 1001 के खातेदारों को रास्ता भूमि के बदले खसरा नं. 1021 में से उतनी ही भूमि खसरा नं. 1001 में जोड़े जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा खसरा नं. 1021 के खातेदारों को आवेदकगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता भूमि बाबत निर्धारित डी. एल. सी. दर से दोगुनी राशि भुगतान करने पर या भुगतान लेने से मना करने पर राशि राजकोष में जमा करवाने पर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने बाबत तहसीलदार झुंझुनूं को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/1/25 को टंकण करवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

31/1/25

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)